बिहार सरकार

<u>श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)</u>

<u>आदेश</u>

केन्द्रीय अनुकम्पा समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं0-22/अनु0-04/2018 सा0 प्र0-10136 दिनांक-29.07.2019 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar), पिता- स्व0 रवीन्द्र प्रसाद, भूतपूर्व विक्रेता, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना (श्रम संसाधन विभाग) की सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे-1800/- (सातवां पुनरीक्षित अनुमान्य स्तर-01) पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar) का ***'वेटर'*** के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 18,000-56,900/- में (लेवल-1 मूल वेतन रू0 18,000/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए ***बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के कार्यालय*** में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar) की जन्म तिथि-01.01.1997 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar) पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar) को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar) द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar)को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar)को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।
10. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar)पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar) आदेश निर्गत की तिथि से 07 (सात) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

(कृ0पृ0उ0)

12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रील,2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

ह0/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
-सह-श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-बी0एस0सी0ए0-27/2017 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आदेश की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नियुक्ति पत्र को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 10 (दस) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
-सह-श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-बी0एस0सी0ए0-27/2017 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना /निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
-सह-श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-बी0एस0सी0ए0-27/2017 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं0-22/अनु0-07/2018 सा0 प्र0-10136 दिनांक-29.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
-सह-श्रमायुक्त, बिहार

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक-बी0एस0सी0ए0-27/2017 श्र0सं0- पटना, दिनांक-

(श्री ऋतुराज कुमार को) प्रतिलिपि:- प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना/लेखाशाखा, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना/स्थापना शाखा (श्रम पक्ष) एवं श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar), पिता-स्व0 रवीन्द्र प्रसाद, सकरी गली, अलबकसपुर, पो0-गुलजारबाग, थाना-आलमगंज, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री ऋतुराज कुमार (Ritu Raj Kumar) को निदेश दिया जाता है कि योगदान के समय वे स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ अन्य सभी प्रमाण-पत्रों को भी समर्पित करेंगे।

ह0/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
-सह-श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-बी0एस0सी0ए0-27/2017 श्र0सं0- 527 पटना, दिनांक- 10-2-2020

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/2020
(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
-सह-श्रमायुक्त, बिहार

D:/-Arvind/Sec-2 Canteen-1099